

प्रारूप-3

उत्तर प्रदेश से बाहर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के प्रवासी उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री.....निवासी
गांव/शहर..... जिला/ मण्डल..... राज्य/संघ शासित क्षेत्र
.....की..... जाति/जनजाति का/की हैं, जो संविधान के आदेश के अधीन अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित की गई हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी..... को उसके पिता/माता
श्री/श्रीमती.....निवासी.....गांव/शहर.....जिला/मण्डल.....राज्य/संघ
शासित क्षेत्र..... दिये गये अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी
किया है और.....जाति/जनजाति के हैं जिसे.....राज्य/ संघ शासित क्षेत्र में
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।

(निर्धारित पदाधिकारी का नाम).....द्वारा आपके पत्र
या.....दिनांक.....के अन्तर्गत जारी किया गया है।

स्थान: हस्ताक्षर:

राज्य/संघशासित क्षेत्र: पद

दिनांक:

कृपया राष्ट्रपति के सम्बन्धित आदेश का उल्लेख करें।